



सं. भा वि प्रा/सी एन ओ/सू का अ/2017/690

16 मई, 2017

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
उत्तरी / पश्चिमी / पूर्वी / दक्षिणी / पूर्वोत्तर क्षेत्र / उ पू क्षेत्र  
नई दिल्ली / मुंबई / कोलकता / चेन्नई / गुवाहाटी

विमानपत्तन निदेशक  
कोलकता / चेन्नई हवाईअड्डा  
कोलकता / चेन्नई

**विषय : भा वि प्रा के वेबसाइट में सू का अ आवेदन, अपील और उत्तरों को अपलोड करना – सू का अ अधिनियम, 2005 के धारा 4 के अन्तर्गत स्वप्रेरणा का कार्यान्वयन**

विभागीय कार्यालय ज्ञापन सं.1/6/2011-आई आर दिनांक. 15.04.2013 के माध्यम से जारी किए गए स्वप्रेरणा पर विभागीय दिशानिर्देशों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों का दायित्व है कि वे सू का अ के आवेदन पत्रों और प्राप्त अपीलों और उनकी प्रत्युत्तरों को सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा रखरखाव किए गए वेबसाइटों पर की शब्दों के आधार पर खोज सुविधा के साथ सक्रिय रूप से प्रकट करें। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित प्राप्त सू का अ आवेदनों और अपीलों और उनके प्रत्युत्तरों का प्रकाश में नहीं ला सकें, क्योंकि वे किसी भी सार्वजनिक हित की सेवा नहीं करते हैं।

भा वि प्रा वेबसाइट के माध्यम से जाने पर, यह देखा गया है कि कुछ सूचना का अधिकार के आवेदनों / अपीलों के उत्तरों एवं इसके प्रत्युत्तरों को नि मु, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र द्वारा भा वि प्रा वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, जबकि उत्तरी, पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्र और विमानपत्तन निदेशकों, कोलकाता / चेन्नई हवाईअड्डों ने आज तक एक भी सू का अ आवेदन / अपील और उत्तर अपलोड नहीं की है। यह भी देखा गया है कि सू का अ आवेदनों / अपीलों के जवाब और उनके प्रत्युत्तरों काफी लंबे समय से भा वि प्रा की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए गए हैं।

सू का अ अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार, "प्रत्येक लोक प्राधिकरण का यह निरंतर प्रयास होगा कि वह जनता को स्वप्रेरणा संबंधी अधिक से अधिक जानकारी नियमित अंतराल पर इंटरनेट सहित संचार के विभिन्न माध्यमों के माध्यम से प्रदान करने के लिए उप-उप धारा (1) के खंड (बी) की आवश्यकता के अनुसार कदम उठाए, ताकि जनता सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के उपयोग का न्यूनतम सहारा ले सके।"



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण Airports Authority of India

अतः अनुरोध है कि भा वि प्रा के वेबसाइट में महा प्रबंधक(सू प्रौ) द्वारा पर "सूचना का अधिकार" --- सू का अ आवेदन / अपील और समाधान ----- सू का अ आवेदन / अपील और समाधान ----- संबंधित "क्षेत्र / हवाई अड्डे" (जैसा भी मामला हो) शीर्षक के तहत प्राप्त सू का अ के आवेदन पत्र एवं अपीलों तथा आपके संबंधित क्षेत्र / हवाईअड्डों के उनके उत्तरों को अपलोड करने का अनुरोध किया जाता, जैसा कि, सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु इसके पूर्व भी किया जा रहा था।

आगे, विभागीय का ज्ञा सं. 1/6/2011-आई आर दिनांक. 15.04.2013 के माध्यम से जारी मार्गदर्शन के आधार पर स्वप्रेरणा से करने एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु यह भी अनुरोध किया जाता है।

(अनुज अगर्वाल)

सदस्य (मा सं)

## वितरण :

सभी विभागाध्यक्ष / नि मु पर प्रथम अपील-प्राधिकारी : समरूप कार्रवाई के लिए और अपने अन्तर्गत में सभी सी पी आई ओ को सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सलाह देने का अनुरोध के साथ

महा प्रबंधक (आई टी) : भा वि प्रा के वेबसाइट पर अपलोडिंग करने हेतु